भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 3550

सोमवार, 10 अगस्त, 2026/19 श्रावण, 1948 (शक)

युवा रोजगार और श्रमबल भागीदारी का सुदृढ़ीकरण

3550. श्री एम. मल्लेश बाबू:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 'यूथ वेल-बिंग इंडेक्स 2025' के निष्कर्षों पर विचार किया है, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि कर्नाटक में 35 वर्ष से कम आयु की युवा आबादी का लगभग 23 प्रतिशत हिस्सा रोजगार, शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण से वंचित है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा कोलार जिले के युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों, करियर मार्गदर्शन, श्रम बाजार की जानकारी और श्रमबल भागीदारी को मजबूत करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं, इसका ब्यौरा क्या है;

(ग) कोलार में सरकार द्वारा समर्थित रोजगार सेवाओं, रोजगार मेलों, राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) केंद्रों, मॉडल करियर केंद्रों और रोजगार से जुड़ी पहलों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने उक्त जिले में रोजगार प्रोफ़ाइल, युवा बेरोजगारी, रोजगार के लिए प्रवास, महिलाओं की श्रमबल भागीदारी और कुशल जनशक्ति की मांग का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा उक्त जिले के युवाओं के लिए स्थानीय रोजगार सृजन, उद्योग संपर्कों, प्लेसमेंट सहायता और सतत आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और उनका ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ): भारत में रोजगार और बेरोज़गारी के आधिकारिक अनुमानों को आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) से प्राप्त किया जाता है जो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2017-18 से किया जा रहा है।

नवीनतम पीएलएफएस रिपोर्ट 2025 के अनुसार, कर्नाटक राज्य में वर्ष 2025 के दौरान सामान्य स्थिति के आधार पर रोजगार, शिक्षा या प्रशिक्षण (एनईईटी) में नहीं होने वाले व्यक्तियों का अनुमानित प्रतिशत 15-24 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के लिए 17.1%, 15-29 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के लिए 20.8% और 30-59 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के लिए 23.2% था।

इसके अलावा, कर्नाटक राज्य में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति के आधार पर रोजगार को दर्शाने वाला अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) वर्ष 2022 में 53.7% से बढ़कर वर्ष 2025 में 58.0% हो गया है और 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति के आधार पर अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) वर्ष 2022 में 2.7% से घटकर वर्ष 2025 में 2.3% हो गई है।

साथ ही, कर्नाटक राज्य में 15-29 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए अनुमानित यूआर वर्ष 2022 में 9.3% से घटकर वर्ष 2025 में 8.6% हो गया है और 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं के लिए सामान्य स्थिति के आधार पर अनुमानित श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) वर्ष 2022 में 33.9% से बढ़कर वर्ष 2025 में 39.8% हो गई है।

भारत सरकार का श्रम और रोजगार मंत्रालय, राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल चला रहा है, जो निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों की जानकारी, ऑनलाइन और ऑफलाइन रोजगार मेलों की जानकारी, नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, कौशल/प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि सहित करियर से संबंधित सेवाएं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म [www.ncs.gov.in] के माध्यम से प्रदान करने के लिए वन-स्टॉप समाधान है। सरकार ने देश भर में 407 मॉडल करियर केंद्रों को मंजूरी दी है, जिनमें कर्नाटक राज्य में 14 केंद्र शामिल हैं और दिनांक 15.07.2026 तक देश में 67474 से अधिक रोजगार मेले (जिनमें से 2643 कर्नाटक राज्य में) आयोजित किए गए हैं।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, सरकार देश भर में ((कर्नाटक राज्य में कोलार जिले सहित) विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रही है। सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

सरकार विभिन्न योजनाओं, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना (एनएपीएस) तथा देश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के अंतर्गत कौशल विकास केंद्रों/विद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थानों आदि के विस्तृत नेटवर्क के माध्यम से कौशल, पुनः-कौशल (रि-स्किल) और उन्नत-कौशल (अप-स्किल) प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए स्किल इंडिया मिशन (एसआईएम) भी चला रही है। एसआईएम का उद्देश्य भारत के युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करना तथा उन्हें उद्योग-संबंधित कौशलों से सुसज्जित करना है।

एमएसएमई मंत्रालय ने दिनांक 01.07.2020 को उद्यम पंजीकरण पोर्टल शुरू किया है जिसका उद्देश्य उद्यमों को औपचारिक रूप देना, सरकारी सहायता तक पहुँच का विस्तार करना और एमएसएमई पारितंत्र को सुदृढ़ करना है। उद्यम पंजीकरण पोर्टल में कुल 8.9 करोड़ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) पंजीकृत किए गए हैं जिसमें उद्यम सहायता प्लेटफॉर्म (यूएपी) भी शामिल है जिससे देशभर में 39 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिल रहा है।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित 10 नई/उभरती प्रौद्योगिकियों में रोजगार के लिए आईटी कर्मियों की री-स्किलिंग/अप-स्किलिंग के लिए 'फ्यूचर स्किल्स प्राइम' कार्यक्रम शुरू किया है।

इसके अलावा, सरकार विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए, सभी क्षेत्रों में रोज़गार सृजन, रोज़गार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना नामक रोज़गार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को कार्यांवित कर रही है। 99,446 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली इस योजना का उद्देश्य 2 वर्षों की अवधि में देश में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगारों के सृजन को प्रोत्साहित करना है।
